REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

" महिलाओं के विकास के लिए (महिला सशक्तिकरण) संविधान में किये गये प्रावधानों का एक आलोचनात्मक अध्ययन "

डॉ. राजू रैदास[1] , डॉ. हर्षा चचाने[2]
[1]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.)भारत.
[2]प्राध्यापक राजनीति विज्ञान , शा. गृह विज्ञान स्नातोत्तर महा.वि.होशंगाबाद.

प्रस्तावना एवं शोध सारांश :–

पूर्व समय से महिलाएँ पुरूषों के बराबर नहीं रही है। पुरूषों की तुलना में बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें संघर्ष करते रहना पड़ा है। अभी भी वे इसी के लिए लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। यह समाज का और विशेषकर पुरूषों का कर्त्तव्य बनता है कि महिलाओं के लक्ष्य प्राप्ति में उनका सहयोग करें।

महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु संविधान में कई प्रावधान बनाये गये हैं। अनुच्छेद 15 और 16 में मूल अधिकार तथा अनुच्छेद 38 और 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा स्त्री और पुरूष के मध्य लैगिंक आधार पर भेदभाव करने का निषेध किया गया है अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बालश्रम पर रोक लगाते है। अनुच्छेद 42(क) के अन्तर्गत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता के अधिकार का निर्देश राज्य को दिया गया है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 39 (घ) पुरूष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त भी स्त्रियों के कल्याण से सम्बन्धित अनेक कानूनों का निर्माण हुआ है। जैसे :–

1. बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक 2001 आदि
2-परित्यक्ताओं के लिए गुजारा भत्ता अधिनियम 2001
3-घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
4-महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2001
5-भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम 2001
6-प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994
7-स्त्री अशिष्ट निरूपण अधिनियम 1986
8-सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987
9. बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976
10- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
11- ठेका श्रम अधिनियम 1970
12- बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966
13- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961
14- दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961/1986
15- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
16- खान अधिनियम 1955
17- बागान श्रम अधिनियम 1951
18- हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम 1937
19- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन विधेयक 1929)

महिला सशक्तिकरण हेतु संविधान में प्रावधान :–

महिला सशक्तिकरण हेतु स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही

कानून निर्माण होने लगा था। संविधान में भारतीय महिलाओं को पुरूषों के बराबर दर्जा प्रदान किया गया है। तथा उनके विकास के लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान बनाये गये हैं।

शोषण के विरूद्ध अधिकार :–

(Right against exploitation)– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरूद्ध अधिकारों को उपबन्धित किया गया हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम के प्रतिषेध तथा अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध करता है।

मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध :–

(Prohibition of traffic in human beings and forced labour)– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय–विक्रय और बेगारी का प्रतिषेध किये जाने का उपबन्ध किया गया है यह अनुच्छेद राज्य के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।

कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध :–

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिबोध करता है। यह अनुच्छेद उपबंधित करता है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में नौकर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी दूसरी खतरनाक नौकरी में ही रख जायेगा।

इस प्रकार हम देखते है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत छोटे बच्चों को फैक्टरियों में काम पर रखने में प्रतिषिद्ध किया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों और कारखानों में काम करना गैर कानूनी समझा गया है।

1. राष्ट्र संघ का घोषणापत्र 1945 :–

राष्ट्रसंघ की ओर से यह घोषणा की गई कि उसके विभिन्न संगठनों में महिलाओं एवं पुरूषो की बराबरी में भाग लेने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंन्ध नही रहेगा। समता की बराबरी रखते हुए वे किसी भी क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकते है। (राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र संविधान का अनुच्छेद 8)

2. मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणापत्र 1948 :–

मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र के विभिन्न अनुच्छेदों में भी यह घोषित किया गया है कि पुरूषों की तुलना में महिलाओं को बराबरी का स्थान प्राप्त होगा। वे (महिलाए) अपनी गोपनीयता की रक्षा कर सकेगी। (अनुच्छेद 12), विधि के समक्ष उनसे समान व्यवहार होगा (अनु.7), उन्हें विवाह करने का अधिकार होगा (अनु.16) और अपनी स्वास्थ के लिए उचित जीवन स्तर बनाये रखने का अधिकार होगा। (अनु.25)

महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों का अभिसमय 1954 :–

इस घोषणापत्र के अनुसार महिलाओं को निम्न अधिकार प्रदान किये गये है :–

(अ) मतदान करने का अधिकार (अनु. I)

(ब) चुनाव लड़ने का अधिकार (अनु. II)

(स) सार्वजनिक पद धारण का अधिकार (अनु. III)

नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1966 : –

इसके द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर सभी अधिकार प्रदान किये गये हैं।

अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 पर विश्व सम्मेलन :–

मेक्सिकों में आयोजित इस सम्मेलन में महिलाओं को समान अधिकार (Equal Rights) प्रदान किये गये हैं।

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने सम्बन्धी अभिसमय 1981 :–

इस सम्मेलन में भी संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की भर्त्सना की और इस बात पर सहमत हुए कि उनकी स्थिति में सुधार तथा सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के लिए बिना देरी किये पुरजोर प्रयत्न करेंगे।

महिलाओं का सशक्तिकरण कोई सरल कार्य नहीं है जिसे सरलता से प्राप्त किया जा सके। विशेषकर, भारत में जहाँ महिलाएँ जिन्हें जो वांछित स्थान और स्थिति मिलना चाहिए थी, उन्हें की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें महिलाओं की ओर से कोई कमी है यह बात नहीं है परन्तु स्थितियाँ ही ऐसी हैं, जिन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता।

यहाँ "सभी पक्षों की इच्छा शक्ति" की आवश्यकता प्रतीत होती है। उदाहरणस्वरूप केन्द्र एवं राज्य सरकारों को लें तो चाहिए यह कि उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। संसद का जहां तक प्रश्न है "विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण" के सम्बन्ध में अभी तक वह विधेयक पारित नहीं करा सकी है।

अतः केवल विधायन ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसका 'सच्चा अमलीकरण' जरूरी और आवश्यक है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है वह देश के लिए काफी दूर है। केवल घोषणाएँ ही नहीं अपितु उसकी अमलीकरण होना चाहिए।

1. स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित शिक्षा रीति और इसकी कार्य योजना में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। औपचारिक और अनौपचारिक स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के प्रवेश और पढ़ाई को जारी रखने हेतु ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा पाठ्यक्रम में लिंगभेद हटाने पर बल दिया गया है। जहाँ प्रत्येक नवोदय स्कूल में कम से कम 1/3 छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए प्रोत्साहन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं "नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्ययन कार्यक्रमों को तथा अनुसंधान परियोजनाएँ हाथ में लेने के लिए महिला अध्यापन केन्द्रों व प्रकोष्ठों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा स्त्री समानता के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के विकास और विस्तार महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बालिका शिक्षा – जनसंख्या सम्बन्धी मसले व शैक्षिक विकास के क्षेत्र में वित्तीय सहायता दी जा रही है।

2. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :–

1 अगस्त 2003 को घोषित इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

3. संशोधित बालिका समृद्धि योजना :–

बालिका समृद्धि योजना में अनुदान के रूप में मिलने वाले 500 रूपये को अब बालिका के नाम से ब्याजदर खाते में डाले जाने का निर्णय लिया गया है इसके अतिरिक्त वह बालिका स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रत्येक सफल वर्ष हेतु वार्षिक छात्रवृति प्राप्त करने की भी पात्र होगी।

4. इन्द्रिरा सूचना शक्ति योजना :–

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित इस योजना का लक्ष्य है गरीब छात्राओं को सूचना प्रोद्योगिकी की शिक्षा का प्रशिक्षण निःशुल्क देना।

5. छात्राओं हेतु साविधि जमा योजना :–

झारखण्ड सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं हेतु मैट्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग :–

31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के संविधानिक और कानूनी सुरक्षा के अधिकारो को ठीक ढंग से लागू कराता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से संबंधित आवश्यक संशोधनों और व्यवस्थाओं से संबंधित सुझाव सरकार को देने का दायित्व सौपा गया है और इस तरह पहली बार स्वम महिलाओं यह जिम्मेदारी

सौपी गई कि वे अपनी स्थिति का आकलन करे तथा अपनी स्थिति को सुधारने में अपेक्षित सहयोग दें।

7. राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001 :–

महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम वार 'राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति' बनाई गई ताकि देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएँ निर्धारित किया जाना सम्भव हो सके। महिला उत्थान नीति की मुख्य विशेषताएँ है :–

1. देश में महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे यह महसूस कर सकें कि वे स्वयं आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ बनाने में शामिल है।
2. देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना तथा उन्हें पुरूषों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतंत्रता का समान रूप से हिस्सेदार बनाना।
4. महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन को लाने के लिए महिलाओं और पुरूषों को समाज में बराबर की भागीदारी निभाने को बढ़ावा देना।
5. महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और सामुदायिक प्रक्रिया विकसित करना।
6. महिलाओं और बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध के रूप में व्याप्त असमानताओं को दूर करना।
7. देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाना।

उपर्युक्त सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए व राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति को देश भर में पूरी तरह लागू करने के लिए 10 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गयी है।

8. महिला विकास निगम :–

महिला विकास निगम स्थापित करने की योजना 1986–87 में बनी, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों का पता लगाने, तकनीकी परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करने, उत्पादों के विपणन की सुविधाएँ बढ़ाने, महिला सहकारी समितियों की शुरूआत करने और उन्हें सुदृढ़ करने, तकनीकी सुविधाएँ जुटाने जैसे कार्यों में तेजी लाने की है। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार 1992–93 में यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है।

9. राष्ट्रीय महिला कोष :–

केन्द्र सरकार द्वारा मार्च 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष से कोई महिला जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी रू. 11,000 प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र में तथा 11800 रूपये प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्र में हैं, वे 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर अपनी आर्थिक गतिविधियाँ जारी रखने हेतु ऋण ले सकती है।

10. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :–

यह योजना 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में चलाई जा रही है। गरीब परिवार की महिलाओं को गर्भावस्था के समय चिकित्सा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की कोई महिला जिसकी उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक हो, को 300 रूपये की राशि प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पूर्व प्राप्त करने की पात्रता होती है। यह सहायता राशि महिला हितग्राही को प्रथम दो जीवन शिशु के जन्म तक देय होगी। इसकी स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों को दिये गये है।

11. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना :–

15 अगस्त 2001 को घोषित इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है।

12. जननी सुरक्षा योजना :–

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2003 को घोषित इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण के बाद से शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए बच्चों के जन्म पर नकद सहायता उपलब्ध कराना है।

13. पंचधारा योजना :–

मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए 1 नवम्बर 1991 से पंचधारा योजना की शुरूआत की है। पंचधारा योजना में निम्नलिखित पाँच योजनाएँ शामिल है–

(1) वात्सल्य योजना – महिलायों को प्रसवकाल में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
(2) ग्राम योजना–ग्रामीण महिलाओं को छोटे–छोटे व्यवसाय शूरू करने के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराना।
(3) आयुष्मती योजना–अत्यन्त निर्धन महिलाओं के रोगी होने की दशा में चिकित्सा और पौष्टिक आहार का समुचित प्रबन्ध करने में सरकारी सहायता।
(4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना–बेसहारा विधवाओं के लिए एवं
(5) कल्पवृक्ष योजना–आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

14. उषाकिरण योजना :–

घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 नियम 2006 के अन्तर्गत घरेलु हिंसा से जिसमें शारीरिक, मानसिक, लैगिंक, आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक आदि प्रकार की हिंसा शामिल है, महिला को संरक्षण एवं सहायता का अधिकार उपलब्ध कराता है इस अधिनियम एवं नियम में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत पीड़ित को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा उषा किरण योजना संचालित है।

15. प्रसूति सहायता योजना :–

पुरूष/महिला हिताधिकारी पंजीबद्ध निर्णय श्रमिक को अथवा उसकी पत्नी को प्रसूति सहायता के रूप में 6 सप्ताह का अवकाश व 5000रू. की सहायता दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना अंतंर्गत लाभ प्राप्त न होने पर मण्डल द्वारा 5000 के अतिरिक्त 1000 और देय होगा। अधिकतम दो बार सहायता देय होगी।

16. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा ऐसे परिवार के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता पहुचाना है। पेंशन राशि 200रू. प्रतिमाह है।

17. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन :–

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति–जनजाति कि कन्याओं को निरन्तर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनकी आर्थिक सहायता करना है।

18. पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार :–

पहले हिन्दु सक्सेशन एक्ट, 1956 के अनुसार, पैतृक सम्पत्ति में बेटी का कोई भी अधिकार नहीं होता था। जिसके कारण कई लडकियाँ दहेज जैसी कुप्रथा का असानी से शिकार बन जाती थीं। इसी कुप्रथा पर रोक लगाने कि कोशिश के तहत 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिससे अनुसार बेटे–बेटी का पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार होगा। पर आज भी हमारे समाज में बेटियाँ इस अधिकार पर अपना हक बहुत कम ही जताती हैं।

19. हैसियत के अनुसार भरण–पोषण भत्ता :–

सीआरपीसी की धारा 125 के अन्तर्गत भी एक पत्नी अपने पति से भरण–पोषण के अधिकार की माँग कर सकती है। पहले इस धारा के तहत पत्नी माँ और बच्चे को हर महीने प्रति व्यक्ति अधिकतम रू. 500 तक का भरण–पोषण पाने का ही अधिकार था। बढ़ती महँगाई को देखते हुए इस कानून में 2001 में संशोधन किया गया, जिसके तहत इस राशि बन्धन को खत्म कर दिया गया। अब पति की हैसियत के अनुसार पत्नी की भरण–पोषण भत्ते की राशि तय की जाएगी।

20. बाल विवाह में मिलेगा भरण–पोषण भत्ता :–

2007 में बाल विवाह कानून में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखते को मिला। इसके तहत वयस्क होने पर लड़का–लड़की दोनों ही इस शादी को मानने से इंकार कर सकते हैं। शादी खंडित करने पर लड़की को लड़के का पिता तब तक भरण–पोषण भत्ता देगा, जब तक कि लड़की की दोबारा शादी न हो जाए। इस कानून के तहत अगर लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग और लड़की अगर शादी को मानने से इंकार कर दे, तो लड़के को लड़की के पुनर्विवाह तक उसकी देखभाल करनी होगी।

21. पति की प्रापर्टी में समान अधिकार :–

पिछले कई सालों से महिलाएँ ये माँग कर रही हैं के पति की सम्पत्ति में उन्हें समान अधिकार मिले, लेकिन ये मामला भी बाकी मामलों की तरह लटका ही रहा है। अब तक यह होता रहा है कि यदि पति–पत्नी अलग हो जाएँ, तो पत्नियों को भरण–पोषण भत्ता से ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन इस कानून के बाद तलाक के बाद भी पत्नियाँ पति की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग पति की सम्पत्ति में पत्नी के समान अधिकार के लिए बिल लेकर सामने आया। आशा है, जल्द ही महाराष्ट्र सरकार इस बिल को पास करके सभी पत्नियों को समान अधिकार दे देगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इन्टरनेट आजीविका मिशन की वेबसाइट।
2. डी.पी.आई वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।
4. डॉ.संध्या शुक्ल, महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा, गायत्री पब्लिकेशन रीवा
5. डॉ0 शिवानन पयासी , म.प्र. मे महिला सशक्तिकरण के प्रयास।
6. डॉ0वीना गर्गब्द्ध, भारतीय महिलाएं , संस्करण 2013,
7. डॉ0स्वप्निल शाश्वत, महिला विकास, संस्करण 2009,
8. नव भारत पत्रिका
9. पत्रिका समाचार पत्र, जबलपुर संस्करण फरवरी 2019
10. www.google.com/wikipedia.com